71

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस.एस. अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1677—दो/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 16—5—2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 222/अपील/2005—06.

गोपाल सिंह चौहान तनय कल्लू सिंह चौहान
निवासी माठा तहसील गोपदवनास
जिला सीधी म0प्र0

—————— आवेदक

विरूद्ध

1. नरहरि सिंह तनय दशरथ सिंह
निवासी ग्राम माठा
2. राजवली सिंह तनय कालसिंह
निवासी ग्राम डैम्हा हाल मुकाम कोटहा
3. महावली सिंह तनय कालू सिंह
निवासी करहिया, नदहवाटोला चौफाल
4. कृष्णपाल सिंह तनय गुलाव सिंह
5. देवेन्द्र सिंह तनय गुलाव सिंह
6. विनोद सिंह तनय गुलाब सिंह
समस्त निवासी ग्रण गाम डेम्हा तहसील गोपदवनास
जिला सीधी म0प्र0

—— अनावेदकगण

....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/10/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 16—5—2007 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व निरीक्षक गिर्द तहसील गोपदवास के द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 1 में दिनांक 3—8—89 को

पारित नामांतरण आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 29–10–05 के द्वारा आवेदक की अपील निरस्त की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 16–5–2007 के द्वारा निरस्त की। अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक ने प्रकरण का निराकरण रिकार्ड के आधार पर किये जाने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहे जिसके कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

5/ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित नामांतरण पंजी पर सभी हितबद्ध पक्षकारों के हस्ताक्षर हैं और जो सहमति राजस्व निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत की गई थी वह दिनांक 01–8–89 को एम्पाउड कराई गई थी जिसमें आवेदक के हस्ताक्षर भी हैं। उक्त आदेश के अनुसार कालू सिंह का हिस्सा 1/3 आता है जो उसे प्रदान किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत इश्तहार का प्रकाशन किया गया है और सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर के पश्चात नामांतरण पंजी पर आदेश पारित किया है। राजस्व निरीक्षक के उक्त आदेश को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा भी विस्तार से विवेचना कर वैधानिक एवं उचित पाया है। अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समतर्वी निष्कर्ष में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 16–5–2007 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर